

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पारपत्र) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3(ए)127/2004/ए-1/दो
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/01/2019

पुलिस अधीक्षक
जिला-इन्दौर
(म0प्र0)

विषय:- 90 दिन का वापसी पृष्ठाकनं/निवासवृद्धि पाक नागरिको-श्री अजीत कुमार पुत्र श्री हरीलाल 2. श्रीमती अनिता पत्नी श्री अजीत कुमार निवासी जिला इंदौर।

संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित पत्र क्रमांक जिविशा/इन्दौर/पाक 2019(68/19,) दि.09.01.2019

--00--

पाक नागरिको श्री अजीत कुमार पुत्र श्री हरीलाल 2. श्रीमती अनिता पत्नी श्री अजीत कुमार को 90 दिन दि.28.04.2019 तक वापसी पृष्ठाकनं स्वीकृत किया जाता है । पारपत्र यथा विधि वितरण हेतु संलग्न प्रेषित है । कृपया पारपत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति शीघ्र भेजे ।

2/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर.पी.पृष्ठांकित किया जाकर चेक पोस्ट को सूचना दी जाय । अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें ।

- 1 श्री अजीत कुमार पुत्र श्री हरीलाल मूल पारपत्र क्रमांक KH-129031
- 2 श्रीमती अनिता पत्नी श्री अजीत कुमार मूल पारपत्र क्रमांक KH-647042

संलग्न: उपरोक्तानुसार

नोट:- पाक नागरिको श्री अजीत के दिनांक 09.03.2016 से 09.03.2017 एवं श्रीमती अनिता के दिनांक 09.03.2014 से 09.03.2016 तक निवासवृद्धि प्रस्ताव अप्राप्त है। कृपया अपेक्षित प्रस्ताव यथाशीघ्र भिजवाये ।

(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

भोपाल, दिनांक 29/01/2019

क्रमांक एफ-3(ए)127/2004/ए-1/दो
प्रतिलिपि:-

- 1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा गुप्तवार्ता(बी) म.प्र. भोपाल, के पत्र क्रमांक विशा/20/पाक/2019-20(25,24)दि.25.01.2019 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 आवेदिका श्री अजीत कुमार पुत्र श्री हरीलाल निवासी 31 डी जय जगत कालोनी जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
- 3 सामान्य शाखा गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर अपडेट करने हेतु

अवर सचिव

म0प्र0शासन गृह (पारपत्र)विभाग